



Document No. : IN-UP68503853013480V
 Document Issued Date : 24-Jul-2023 05:57 PM
 Document Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14350604/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
 Sub-Document Reference : SUBIN-UPUP1435060432174128957109V
 Document Description : VINAY KUMAR SO CHANDRA BHUSHAN
 Document Type : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Document Category : Not Applicable
 Document Price (Rs.) :
 Document Status : VINAY KUMAR SO CHANDRA BHUSHAN
 Document Party : Not Applicable
 Document Duty Paid By : VINAY KUMAR SO CHANDRA BHUSHAN
 Document Duty Amount (Rs.) : 100
 (One Hundred only)



IN UP68503853013480V

Please write or type below this line

घोषणा- पत्र

मैं \ हम विनय कुमार सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ । देते हैं कि
 :- [क] मैं \ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हम अनुज्ञापतिधारी से आपूर्ति
 के प्रारम्भ के दिनोंक से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित
 उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ। रखते हैं।
 [ख] मैं \ हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञापतिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें
 उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का
 इसके अर्न्तगत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों
 से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ \हैं।

d.
 अधिशाषी अभियन्ता
 बिद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
 राबरेली

विनय कुमार

(ग) में/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ) में/हम आभे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विधन/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

(ङ) में/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पर्यन्त इस संहिता में वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी फलकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

(च) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नये परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से 30प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(छ) उपरोक्त कारणोंवशा यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोज्य होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा 30प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल0टी0लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(झ) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में स्थानीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड ... रायबरेली से बिल प्राप्त करूँगा/करता रहेगा तथा उसका भुगतान ससमय करूँगा/करता रहेगा।

(ञ) मैं/हम आभे इस बात पर सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आर्यदेन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी वाद की दिनांक पर चलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को पिछिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तिभूक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञप्तिधारी का कोई पराभिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बंधन देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कचेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा।

दिनांक :

स्थान
गवाहों के हस्त

आदेशक के हस्तक्षर

विनायक कुमार

अधिसापी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड टिंताय
रायबरेली

विनायक कुमार

विनायक कुमार

विनायक कुमार

शुभं सुखं फलं कल्याणं विनायक

विनायक कुमार